न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए / 3263 / 2004 / नागौर

1– तेजसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अखासर तहसील खींवसर जिला नागौर।
2– गैनसिंह) पुत्रगण सुजानसिंह
3– धनेसिंह)
4– फतेहसिंह)
5– बनेसिंह)
6– विशालसिंह)
7– सोहनसिंह) पुत्रगण हरिसिंह
8– जेठूसिंह)
9– उम्मेदसिंह)
10– भंवरकंवर पत्नी हरिसिंह
11– उगमसिंह) पुत्रगण भंवरसिंह
12– मेघसिंह)
13– धनेसिंह)
14– छोटूकंवर पत्नी भंवरसिंह
15– मूलसिंह पुत्र मंगलसिंह (फौत) जरिये कायम मुकामानः–
15/1 रामसिंह पुत्र मूलसिंह
15/2 लक्ष्मणसिंह पुत्र मूलसिंह
15/3 बजरंगसिंह पुत्र मूलसिंह
15/4 मु0 प्रेमकंवर पत्नी कल्याणसिंह पुत्री मूलसिंह
15/5 भवानीसिंह पुत्र स्व0 कल्याणसिंह
16– नैनसिंह पुत्र मंगलसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम अखासर तहसील खींवसर जिला नागौर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1– गणपतसिंह पुत्र धोकलसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामानः–
1/1 भंवरकंवर बेवा गणपतसिंह
1/2 भंवरसिंह) पुत्रगण गणपतसिंह
1/3 आसूसिंह)
1/4 उम्मेदसिंह)
1/5 छतूसिंह)
1/6 समुन्द्रकंवर पुत्री गणपतसिंह
1/7 चैनकंवर पुत्री गणपतसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम करणू तहसील व जिला नागौर।
2– राजस्थान सरकार

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सोहनपालसिंह, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।

श्री डूंगरसिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से।

————

दिनांकः 11.01.2021

निर्णय

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–6–2004 जो की प्रकरण संख्या 19/2004 में पारित किया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 व 153 सिविल प्रक्रिया संहिता अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय सुजानसिंह व उनके भाई स्वर्गीय भंवरसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 1–1–2003 को किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया गया। उक्त प्रकरण में आज तक कोई अपील नहीं की गई है। ग्राम करणू की सरहद में साबिक खसरा नम्बर 729, 1807, 1063 जिसके हाल खसरा संख्या 987, 988, 2410 व 1462 बने जो वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। वाद के पेरा नम्बर 1 में हाल खसरा नम्बर 987, 988 व 1462 लिखा मगर आकस्मिक गलती से वाद की रिलिफ (प्रार्थना) में साबिक ''ख.न.'' शब्द तो लिख दिया मगर नम्बर नही लिखे व खसरा नम्बर 1462 भी लिखने से रह गया इस कारण निर्णय तथा डिक्री पर्चा में छूट गया जिससे मात्र खसरा नम्बर 987, 988 दर्ज निर्णय में हुए। तथा खसरा नम्बर 1462 का अनुतोष को सम्मिलित नही किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–6–2004 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक का कथन है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण सुजानसिह आदि ने धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व वाद अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करके अपने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में ही स्पष्ट उल्लेख किया कि वाके ग्राम करणू तहसील व जिला नागौर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा संख्या 729, 1807, 1063 जिसके नये खसरा नम्बर 987 रकबा 67 बीघा 10 बिस्वा, 988 रकबा 50 बीघा, 2410 रकबा 66 बीघा 2 बिस्वा एवं 1462 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा बनाये गये है। उक्त भूमि वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी गणपतसिंह की बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिसमके कारण प्रतिवादी गणपतसिंह ने अपने हिस्से में आई भूमि साबिक खसरा नम्बर 1807 जिसके हाल खसरा नम्बर 2410 रकबा 79 बीघा का बेचान पेमाराम पुत्र लूम्बाराम

मेघवाल को बेचान कर चुका है। उनका यह भी कथन है कि टंकण त्रुटि से खसरा संख्या 1462 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा डिक्री में दर्ज नहीं हुआ जिस बाबत प्रार्थी संख्या तेजसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की है। वकील प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में ही साबिक खसरा संख्या 729, 1807, 1063 एवं इनसे बनाये गये नये खसरा नम्बर 987, 988, 2410 एवं 1462 का उल्लेख किया है। उनका यह भी कथन हे कि प्रतिवादी गणपतसिंह द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 5 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया था कि खसरा संख्या 2410 व 1462 के रकबे का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे उल्लेखित करवाया जावे। उक्त समस्त तथ्य परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रकट होते हुए भी उनके द्वारा खसरा संख्या 1462 रकबा 55 बीघा 12 बिस्वा बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का निरस्त किये जाने में त्रुटि कारित की गई है।

5— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा संख्या 1462 बाबत कोई भी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। उनके द्वारा खसरा संख्या 1462 का रकबा भी नहीं बताया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का उचित रूप से खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में वकील अप्रार्थीगण ने निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

6— प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र एवं परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 01—01—2003 से स्पष्ट है कि वर्तमान निगराकार/वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 1462 के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र जब दोषपूर्ण है तो सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01—1—2003 में सहवन से उक्त खसरा नम्बर 1462 छूट जाना प्रमाणित नहीं होता है। यदि निगराकार चाहें तो अपेक्षित साक्ष्य के साथ खसरा नम्बर 1462 के लिए पृथक से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

8— परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 23—6—2004 बहाल रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य